संख्या-451/XXIV/(1)/2013-25/2007

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
सर्व शिक्षा अभियान उत्तराखण्ड,
ननूरखेड़ा, देहरादून।

शिक्षा अनुभाग-1(बेसिक) देहरादूनः दिनांकः 31 मई,2013

विषयः मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान से विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न (चावल) ढुलान की धनराशि का भुगतान विद्यालय प्रबन्धन समिति के माध्यम से किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-रा0प0का0/612/MDM-45/2012-13 दिनांक 15-03-2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. अवगत कराना है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के द्वारा भारत सरकार द्वारा आंवटित निःशुल्क खाद्यान्न (चावल) का उठान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कर सार्वजनिक वितरण मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड के द्वारा भारत सरकार द्वारा आवंटित निःशुल्क खाद्यान्न (चावल) का उठान भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अन्तर्गत सस्ता गल्ला विक्रेताओं के माध्यम से विद्यालयों तक पहुँचाया जाता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से विद्यालय स्तर तक खाद्यान्न के नियमित ढुलान के लिए भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत धनराशि राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाती है, जिसे मध्याह्न भोजन योजना, राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ द्वारा समस्त जिला पूर्ति अधिकारियों को प्रेषित की जाती है।

3. मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के रिव्यू मिशन, अनुश्रवण संस्था NIAR मसूरी तथा आन्तरिक दल के अनुश्रवण में यह देखने में आया है, कि कतिपय सस्ता गल्ला विक्रेता को जिला पूर्ति कार्यालय से ढुलान भाड़ा का समय पर व नियमित रूप से भुगतान न होने के कारण सस्ता गल्ला विक्रेताओं के द्वारा मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न (चावल) का ससमय उठान कर विद्यालय तक नियमित रूप से नहीं पहुँचाया जा रहा है, जिस कारण विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के बाधित होने की स्थिति बन रही है।

4. अतः उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत विद्यालय स्तर तक नियमित रूप से खाद्यान्न की उपलब्धता बनाए रखने हेतु भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न ढुलान मद में उपलब्ध करायी जा रही धनराशि के प्रेषण/व्यय के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायः-

(1) भारत सरकार द्वारा ढुलान भाड़ा मद में वर्ष 2012-13 के लिए प्रति कुन्तल की दर से निम्नवत् औसत ढुलान भाड़ा दर अनुमोदित की गयी हैः-

| FCI के गोदाम से आंतरिक गोदाम रू0 प्रति कुन्तल | आंतरिक गोदाम से PDS तक प्रति कुन्तल | PDS से विद्यालय तक रू0 प्रति कुन्तल | कुल दर |
|---|---|---|---|
| 43.26 | 52.75 | 56.48 | 152.49 |

उक्त दरें राज्य की औसत दरें हैं। मध्याह्न भोजन योजना प्रकोष्ठ के द्वारा जनपदवार अनुमोदित दरों के अनुसार धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जाए।

(2) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान तक खाद्यान्न ढुलान भाड़ा की धनराशि जिला पूर्ति अधिकारियों को उपलब्ध करायी जाए। जिला पूर्ति अधिकारी भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न(चावल) का ससमय उठान व सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान तक नियमित उपलब्धता सुनिश्चित कर समयबद्ध रूप से सम्बन्धित परिवहन ठेकेदार/सस्ते गल्ले विक्रेता को खाद्यान्न(चावल) ढुलान भाड़ा धनराशि का भुगतान करेंगें।

(3) मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान से विद्यालय तक खाद्यान्न ढुलान भाड़ा की धनराशि सस्ता गल्ला विक्रेता को भुगतान हेतु सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति को जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी। PDS की दुकान से विद्यालय तक खाद्यान्न ढुलान का उत्तरदायित्व सम्बन्धित सस्ता गल्ला विक्रेता का होगा। सस्ता गल्ला विक्रेता द्वारा विद्यालय तक खाद्यान्न पहुँचाए जाने के उपरान्त विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा दुकान से विद्यालय तक का ढुलान भाड़े का नियमानुसार अनुमोदित/स्वीकृत दर पर तत्काल भुगतान सम्बन्धित सस्ता गल्ला विक्रेता को करते हुए भुगतान/प्राप्ति रसीद विद्यालय में सुरक्षित रखी जाए। साथ ही राशन की दुकानों से विद्यालय तक MDM खाद्यान के परिवहन बिलों को बनाने एवं उनके सत्यापन का दायित्व भी सम्बन्धित विद्यालय प्रबन्धन समिति/प्रधानाध्यापक का होगा।

(4) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान तक ढुलान भाड़ा मद में व्यय का विवरण सम्बन्धित जिला पूर्ति अधिकारी तथा सस्ता गल्ला विक्रेता की दुकान से विद्यालय तक ढुलान भाड़ा मद में व्यय का विवरण सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) द्वारा मध्याह्न भोजन योजना,राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनुमोदित ढुलान भाड़ा दरों के अनुसार ही जिला पूर्ति अधिकारी तथा जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) को धनराशि उपलब्ध करायी जाए।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(मनीषा पंवार)
सचिव

**संख्या– /XXIV/(1)/2013 -25 /2007 /तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (मिड डे मील डिविजन) भारत सरकार, नई दिल्ली।

...3...

2. सचिव, खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति, उत्तराखण्ड शासन।
3. खाद्य आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव, माध्यमिक / बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन ।
5. निदेशक माध्यमिक शिक्षा / प्रारम्भिक शिक्षा उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड (द्वारा रा0परि0निदे0 कार्यालय)।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी(मा0) / जिला शिक्षा अधिकारी(बे0), उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से)।
9. समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड (राज्य परियोजना कार्यालय के माध्यम से)।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील श्री पांथरी)
उप सचिव